छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन–नया रायपुर

क्रमांक / 49 / 2013 / 20–तीन, रायपुर, दिनांक / 01 / 2013

प्रति,

सचिव,
छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर।

विषयः– अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु डी.एड. दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम की परीक्षाएँ संचालित करने बावत्।

संदर्भः– एस.सी.ई.आर.टी. का प्रस्ताव दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में।

––––0––––

"निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत् अधिनियम के लागू होने के 5 वर्षों के अन्दर राज्य शासन को प्रारंभिक स्तर में कार्यरत समस्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा (NCTE) निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षित करना होगा। अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 के अनुसार – ऐसा कोई शिक्षक, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा।

अतः राज्य में प्रारंभिक विद्यालय स्तर के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत समस्त नियमित शिक्षक जिनकी नियुक्ति 3 सितम्बर 2001 के पश्चात हुई हो एवं जिनके पास डी.एड. या बी.एड. की डिग्री नहीं है, के लिये दूरस्थ शिक्षा पद्वति से डी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसके तहत् राज्य के लगभग 45223 अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को 3 वर्ष की समय सीमा में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित किया जाना है। सत्र 2012–13 में 10,000 अप्रशिक्षित शिक्षकों का पंजीयन कर प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा चुका है जिसकी प्रथम वर्ष की परीक्षा ली जानी है। शेष अप्रशिक्षित शिक्षकों को आगामी वर्ष के लिए पंजीयन किया जा रहा है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन एवं पाठ्यक्रम के समस्त अकादमिक कार्यों का उत्तरदायित्व एस.सी.ई.आर.टी. का होगा एवं समस्त नामांकित अप्रशिक्षित शिक्षकों के परीक्षा संचालन एवं सर्टिफिकेशन का उत्तरदायित्व छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल का होगा।

तद्अनुरूप एस.सी.ई.आर.टी. से समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना तैयार कर विभाग को भी अवगत कराएं।

(एम.एन. राजूरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

//2//

shakar.letter.nag

पृ0कमांक 216 /49/2013/20–तीन रायपुर, दिनांक 14/01/2013

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सचिव, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर।
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर।
4. स्टाफ ऑफिसर, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर।

14/1/13

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग